

1 अप्रैल, 2020

कार्यकारी आदेश 2020-18

**COVID-19 के लिए कार्यकारी आदेश**  
**(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 16)**

**जबकि**, कोरोनावायरस 2019 (COVID-19) एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो व्यक्तियों में श्वसन संचारों के माध्यम से फैल सकता है और इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

**जबकि**, 11 मार्च, 2020 पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन एक महामारी के रूप में COVID -19 प्रकोप विशेषता; तथा,

**जबकि**, COVID-19 को रोकने के प्रयासों के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संघीय रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों (CDC) ने यह घोषणा की है कि इसका फैलना अपेक्षित है; और,

**जहां**, कुछ आबादी को COVID-19 के परिणामस्वरूप अधिक गंभीर बीमारी का सामना करने का अधिक जोखिम होता है, जिनमें वृद्ध वयस्क और ऐसे लोग शामिल हैं जिनके हृदय रोग, मधुमेह या फेफड़ों की बीमारी जैसी गंभीर पुरानी चिकित्सा स्थितियां हैं; तथा,

**जबकि**, कुछ ही समय में, COVID-19 तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गया, इसलिए संघीय, राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी और अधिक सख्त मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है; और,

**जबकि**, सामाजिक दूरी बनाए रखना, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छह फीट की दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, हमारे समुदायों में COVID-19 के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोपरि रणनीति है; और,

**जबकि**, वर्तमान परीक्षण उपलब्धता इलिनोइस राज्य भर में इस बात की पुष्टि मामलों के आगे प्रसार की पहचान की है, और यह उम्मीद है कि क्षमता का परीक्षण प्रदर्शित होता है कि COVID -19 इलिनोइस भर में समुदायों कि वर्तमान में एक की पुष्टि के मामले की पहचान नहीं की में घूम रहा है वृद्धि हुई; तथा,

**जबकि**, संदिग्ध COVID -19 इलिनोइस में मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इलिनोइस में अधिक स्थानों में, यह दर्शाता है कि कठोर सामाजिक दूरी उपायों की जरूरत है, समुदायों में जहाँ इस बात की पुष्टि मामलों की पहचान अभी तक नहीं किया गया है में भी लोगों की संख्या कम करने के लिए जो किसी भी समय बीमार हो जाना और हमारे स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को समाप्त करने की संभावना; तथा,

**जबकि**, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (पहला राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (द फर्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)); और,

**जबकि**, मैंने कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (सेकंड ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फर्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

**जबकि**, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; तथा,

**जबकि**, मैं कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप की प्रतिक्रियास्वरूप आज तक जारी कार्यकारी आदेशों, नामतः कार्यकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-

13, 2020-14, 2020-15, 2020-16, और 2020-17, को जारी रखना एवं विस्तार देना आवश्यक पाता हूँ, और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्वारा समाविष्ट करता हूँ;

**इसलिए**, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 की धारा 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) और 7(12) एवं लोक स्वास्थ्य कानूनों के अनुसार, मैं इसके लिए निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

**भाग 1: पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेशों को जारी रखना एवं विस्तार देना।**

एतद्वारा कार्यकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-14, 2020-15, 2020-16, और 2020-17 को इस कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा निम्नवत जारी रखा जाता है एवं विस्तार दिया जाता है:

**कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन (James R. Thompson) केंद्र की बंदी; राज्य कर्मचारियों के लिए रुग्णता अवकाश आवश्यकता का अधित्याग):**

**अनुभाग 1.** 16 मार्च, 2020 से शुरू होकर, 100 W. Randolph Street, Chicago, Illinois स्थित जेम्स आर। थॉम्पसन सेंटर, राज्य के व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक को छोड़कर, जनता के सदस्यों को गुबर्नेशनल डिजास्टर उद्घोषणा की अवधि के लिए बंद कर दिया गया है, किसी राज्य एजेंसी या संवैधानिक कार्यालय से सेवाएँ प्राप्त करने के लिए, या जेम्स आर। थॉम्पसन सेंटर में स्थित एक व्यवसाय संचालित करने के लिए। यह बंद बाहरी प्रवेश द्वार के माध्यम से जेम्स आर। थॉम्पसन सेंटर में भूतल पर स्थित व्यवसायों तक सार्वजनिक पहुंच को, इस आदेश में अन्यथा निर्दिष्ट के अलावा प्रभावित नहीं करता है।

**अनुभाग 2.** 13 मार्च, 2020 से, राज्य कर्मचारियों को इलिनोइस प्रशासनिक कोड कार्मिक नियमों की शीर्षक 80, धारा 303.110 के अनुसार बीमार अवकाश की उन्नति प्राप्त करने के लिए दो साल की निरंतर सेवा की आवश्यकता, गुबर्नेशनल डिजास्टर उद्घोषणों की अवधि के दौरान निलंबित है।

**कार्यकारी आदेश 2020-05 एवं 2020-06 (स्कूलों की बंदी):**

कार्यकारी आदेशों 2020-05 और 2020-06 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि, जो वर्तमान में **30 अप्रैल, 2020** तक है, के लिए पूर्णरूपेण जारी रखा एवं विस्तार दिया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-07 (रेस्त्राओं और मदिरालयों (बार) के परिसर में खान-पान का स्थगन; बेरोजगारी बीमा; सार्वजनिक सभा अधिनियम (ओपन मीटिंग्स एक्ट):**

**अनुभाग 1.** 16 मार्च, 2020 को रात्रि 9 बजे से शुरू होकर, **30 अप्रैल, 2020** तक इलिनॉय राज्य के सभी व्यवसाय जो ऑन-प्रिमाइसेस उपभोग के लिए भोजन या पेय प्रदान करते हैं—जिनमें रेस्तरां, बार, किराने की दुकान, और फूड हॉल के लिए—सेवा निलंबित होनी चाहिए और हो सकता है ऑन-प्रिमाइसेस उपभोग की अनुमति नहीं हो। ऐसे व्यवसायों को भोजन और पेय पदार्थों को परोसने के लिए अनुमति दी जाती है ताकि वे ऑफ-प्रिमाइसेस का सेवन कर सकें, जैसा कि वर्तमान में कानून द्वारा अनुमति है, जैसे कि इन-हाउस डेलिवरी, थर्ड-पार्टी डिलीवरी, ड्राइव-थ्रू और कर्बसाइड पिक-अप। इसके अलावा, ग्राहक ले-जाने के लिए भोजन या पेय पदार्थ खरीदने के लिए परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। हालाँकि, खाद्य पदार्थ वाहक ट्रकों सहित भोजन या पेय पदार्थों की लाने व ले-जाने की पेशकश करने वाले प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास एक ऐसा वातावरण हो जहां सेवा प्रदाता पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखता है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हवाई अड्डों, अस्पतालों और डाइनिंग हॉल में स्थित व्यवसायों को इस कार्यकारी आदेश की आवश्यकताओं से छूट दी गई है। होटल के रेस्तरां रूम सर्विस और कैरी-आउट प्रदान करते रह सकते हैं। खानपान सेवाएं जारी रह सकती हैं।

**अनुभाग 2.** इलिनोइस इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट, इलिनोइस स्टेट पुलिस, इलिनोइस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्टेट फायर मार्शल और इलिनोइस शराब नियंत्रण आयोग के खंड 7 (2) और 7 (3) के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है और इलिनोइस कानून के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के तहत संस्थाओं के संबंध में इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को लागू करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए।

**अनुभाग 3.** इस कार्यकारी आदेश में कुछ भी संशोधन या सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की धारा 2310-15 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के इलिनोइस विभाग के अधिकार को संशोधित या अधिरोपित नहीं करेगा, 20 ILCS 2310 / 2310-15।

अनुभाग 4. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, बेरोजगारी बीमा दावों के लिए एक सप्ताह की प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता वाले बेरोजगारी बीमा अधिनियम, 820 ILCS 405/500 (D) के प्रावधान को यह दावा करने के लिए निलंबित कर दिया जाता है कि कौन बेरोजगार हैं और कौन अन्यथा योग्य हैं बेरोजगारी बीमा लाभ।

अनुभाग 5. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की अवधि के दौरान, एक सार्वजनिक निकाय के सदस्यों द्वारा इन-पर्सन अटेंडेंस की आवश्यकता या संबंधित, ओपन मीटिंग्स एक्ट, 5 ILCS 120 के प्रावधान निलंबित हैं। विशेष रूप से, (1) 5 आईएलसीएस 120 / 2.01 में आवश्यकता है कि "एक सार्वजनिक निकाय के सदस्यों को शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए" निलंबित है; और (2) 5 आईएलसीएस 120/7 में स्थितियां, जब दूरस्थ भागीदारी की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। सार्वजनिक निकायों को जहां संभव हो सार्वजनिक व्यापार के विचार को स्थगित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब कोई मीटिंग आवश्यक होती है, तो सार्वजनिक निकायों को वीडियो, ऑडियो और / या टेलीफोनिक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि जनता के सदस्य मीटिंग की निगरानी कर सकें, और जनता को पूरी तरह से अवगत रखने के लिए अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया फीड को अपडेट कर सकें। COVID-19, साथ ही साथ COVID-19 से संबंधित उनकी गतिविधियों के कारण उनकी बैठक के कार्यक्रम या उनकी बैठकों के प्रारूप में कोई संशोधन।

**कार्यकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑपरेशंस):**

कार्यकारी आदेशों 2020-08 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि, जो वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक है, के लिए पूर्णरूपेण जारी रखा एवं विस्तार दिया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):**

कार्यकारी आदेशों 2020-09 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि, जो वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक है, के लिए पूर्णरूपेण जारी रखा एवं विस्तार दिया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-10 (घर पर रहें; सामाजिक दूरी; निष्कासनों का स्थगन):**

कार्यकारी आदेशों 2020-10 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि, जो वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक है, के लिए पूर्णरूपेण जारी रखा एवं विस्तार दिया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-11 (कार्यकारी आदेशों 2020-05 एवं 2020-10 के संशोधन; सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) अधिसूचना अवधि):**

कार्यकारी आदेशों 2020-11 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि, जो वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक है, के लिए पूर्णरूपेण जारी रखा एवं विस्तार दिया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; किशोर न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ज़ुवेनाइल जस्टिस) अधिसूचना अवधि; कोयला खनन अधिनियम (कोल माइनिंग एक्ट)):**

कार्यकारी आदेशों 2020-12 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि, जो वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक है, के लिए पूर्णरूपेण जारी रखा एवं विस्तार दिया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-13 (काउंटी जेलों से सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) में दाखिलों का स्थगन):**

कार्यकारी आदेशों 2020-13 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि, जो वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक है, के लिए पूर्णरूपेण जारी रखा एवं विस्तार दिया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-14 (लेख्य प्रमाणक (नोटरी) एवं साक्षी संबंधी दिशानिर्देश):**

कार्यकारी आदेशों 2020-14 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि, जो वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक है, के लिए पूर्णरूपेण जारी रखा एवं विस्तार दिया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-14, अनुभाग 2, पैराग्राफ (h) और (i) को एतद्वारा निम्नवत आशोधित व संशोधित किया जाता है:

- h. हस्ताक्षरकर्ता को संपूर्ण हस्ताक्षरित दस्तावेज़ की एक पठनीय प्रति रातोंरात मेल, फ़ैक्स या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से सीधे साक्षी को दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले दिन से अगला दिन समाप्त होने से पहले-पहले भेजनी होगी;
- i. साक्षी को दस्तावेज़ की प्रेषित प्रति पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करना होगा और दस्तावेज़ की हस्ताक्षरित प्रति रातोंरात मेल, फ़ैक्स या इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से वापस हस्ताक्षरकर्ता को प्राप्ति के 24 घंटों के अंदर भेजनी होगी; और

**कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड) के उपबंधों का स्थगन):**

कार्यकारी आदेशों 2020-15 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लामेशन्स) की अवधि, जो वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक है, के लिए पूर्णरूपेण जारी रखा एवं विस्तार दिया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-16 (वाहनों को पुनः कब्जे में लेना; सुरक्षा सेवाओं के लिए कक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का स्थगन):**

कार्यकारी आदेशों 2020-16 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लामेशन्स) की अवधि, जो वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक है, के लिए पूर्णरूपेण जारी रखा एवं विस्तार दिया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भांग (केनाबिस) संबंधी समय-सीमाएं एवं आवेदन):**

अनुभाग 1. कैनाबिस विनियमन और कर अधिनियम (कैनबिस रेगुलेशन एंड टैक्स एक्ट) में आवेदन जमा करने की समय सीमा और 16 मार्च, 2020 तक आवेदन जमा करने के लिए नियमों को लागू करना, जिन्हें पहले कार्यकारी आदेश 2020-03 के अनुसार निलंबित कर दिया गया था और 30 मार्च, 2020 तक विस्तारित किया गया था, और कार्यकारी आदेश 2020-17 से 7 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाया गया, इस प्रकार से निलंबित कर दिया गया है:

- a. 16 मार्च, 2020, शिल्प उत्पादक लाइसेंस के आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा, शीर्षक 8 के अनुसार, इलिनॉय प्रशासनिक संहिता की धारा 1300.300(b) के तहत जिसे कार्यकारी आदेश 2020-03 द्वारा 30 मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया था, और कार्यकारी आदेश 2020-17 से 7 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाया गया, उसे 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाया जाता है; और
- b. 16 मार्च, 2020, इनफ्यूज़र लाइसेंस आवेदन जमा करने की समय सीमा कैनबिस विनियमन और कर अधिनियम की धारा 35-5 (b), 410 ILCS 705/35-5 (b) और शीर्षक 8, इलिनॉय प्रशासनिक संहिता की धारा 1300.400 (बी) के अनुसार समय सीमा, जिसे कार्यकारी आदेश 2020-03 द्वारा 30 मार्च, 2020 तक विस्तारित किया गया था, और कार्यकारी आदेश 2020-17 से 7 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाया गया, को 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया गया है; और
- c. 16 मार्च, 2020, ट्रांसपोर्टर लाइसेंस आवेदन जमा करने की समय सीमा कैनबिस विनियमन और कर अधिनियम की धारा 40-5 (b), 40 ILCS 705/40-5 (b) और शीर्षक 8, इलिनॉय प्रशासनिक संहिता की धारा 1300.510(b)(1)(A) के अनुसार समय सीमा, जिसे कार्यकारी आदेश 2020-03 के द्वारा 30 मार्च, 2020 तक विस्तारित किया गया था, को कार्यकारी आदेश 2020-17 के तहत 7 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया गया था, को अब 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाया गया है।

अनुभाग 2. इस तरह के अनुप्रयोगों को स्वीकार करने के लिए किसी भी वैधानिक या विनियामक आवश्यकता को निलंबित कर दिया जाता है और कृषि विभाग को शाम 5 बजे से शुरू होने वाले व्यक्ति के आवेदनों को स्वीकार करने से रोकने का निर्देश दिया जाता है। केंद्रीय समय 12 मार्च, 2020।

अनुभाग 3. इलिनॉय कृषि विभाग को सभी शिल्प उत्पादकों, इनफ्यूज़र, और ट्रांसपोर्टर लाइसेंस आवेदनों को स्वीकार करने के लिए निर्देशित किया जाता है जो प्रमाणित यूएस मेल के माध्यम से 30 मार्च 2020 को या उससे पहले चिह्नित यहां प्राप्त किया गया हो:

Illinois Department of Agriculture  
c/o Bureau of Medicinal Plants  
P.O. Box 19281  
Springfield, IL 62794-9281 USA

**भाग 2: व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज)**। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है।

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल**

(गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 1 अप्रैल, 2020

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 1 अप्रैल, 2020